

आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश LL.B.

Eligibility for Admission (प्रवेश के लिए पात्रता) :

- LLB कक्षा में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, जो एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा मान्य हों, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित है, पिछड़ी जाति के लिए 42 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 40 प्रतिशत है। यह न्यूनतम प्रतिशत बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निश्चित की गयी है (बार काउन्सिल आफ इण्डिया की बैठक दिनांक 14.09.2008 में स्वीकृत रिज्योलूशन संख्या 110/2008)। ऐसे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जो वर्ष 2026 की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुये हैं किन्तु उन्हें काउन्सिलिंग से पूर्व स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- **NOTE :** The candidates who have obtained 10+2 or graduation/Post graduation through open Universities system directly without having any basic qualification for pursuing such studies are not eligible for admission in Law courses. (B.C.I. circular No. LE CIR: 02/2010 dt. 20.12.2010)

Reservation (आरक्षण) :

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु) उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा—

Vertical Reservation :

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु)
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु)
अन्य पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु)
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए	10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा। (उक्त 10 प्रतिशत सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी।)

Horizontal Reservation in each category as per Govt. Rules

विकलांग	04 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
डिफेंस पर्सनल	05 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
महिला	20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)

टिप्पणी 1—सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी 2: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

टिप्पणी 3: पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2023 के बाद का ही मान्य होगा।

Application procedure and fee (आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क) :

- The candidates have to apply for entrance examination by filling online registration form and depositing registration fee of Rs. 150/-. The registration process is open through samarth portal of MJPRU from **20.05.2026 to 18.06.2026** on University website (<https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php>).
- After successful registration, the candidate shall be required to fill the application form and other details as given in **flow chart**. The application fee for LL.B. Entrance test is Rs. 800/- + Bank transaction fee. The application form is open from **20.05.2026 to 18.06.2026** on University website (<https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php/registration/user/register>).
- After submitting the online application form Click on "Proceed for the payment" button to pay the online fee by choosing Netbanking/Debit Card/ Credit /UPI.
- After depositing online fee the candidate should print their application form.
- Printed copy of application form should be retained by the candidate for future use. **There is no need for sending application form to the University.**

Admit Card (प्रवेश पत्र)

- The Entrance test will be conducted offline on **28.06.2026 (Sunday) from 09:00 am to 10:30 am.**
- The Admit cards for the entrance test shall be made available on the University website/ entrance examination portal before one week of the entrance examination.
- Admit cards will NOT be sent individually by post.

Admission Criteria (प्रवेश का मानदंड)

Please go through the following instructions carefully before filling the required details in the application form (कृपया आवेदन पत्र में अपेक्षित विवरण अंकित करने से पूर्व निम्न निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करें।)

- बार काउन्सिल आफ इण्डिया के आदेशानुसार (बार काउन्सिल आफ इण्डिया के निर्णय दिनांक 14.02.2008) एल.एल.बी. त्रिवर्षीय शिक्षण/प्रशिक्षण सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होगा।
- विधि महाविद्यालयों को सत्र 2026-27 में बार काउन्सिल आफ इण्डिया से यदि मान्यता नहीं है तो ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश अनुमन्य नहीं होंगे।
- अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- प्रार्थी द्वारा दी गयी कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य सिद्ध हो जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि आपने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है और अपने आवेदन के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो आपका आवेदन पत्र सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाईन आयोजित की जायेगी।
- एन.सी.सी. (NCC), एन.एस.एस. (NSS), शारीरिक रूप से अपंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आर्म्ड फोर्स आश्रित/खेलकूद में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्रों को प्रदान करने के लिये निम्न अधिकारी/संस्थायें सक्षम हैं—

एन.सी.सी. प्रमाण पत्र	:	एन.सी.सी. निदेशालय, रक्षा मंत्रालय
एन.एस.एस. के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने से संबंधित प्रमाण पत्र	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या कीड़ा परिषद के अध्यक्ष
अन्तर्विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	:	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या कीड़ा परिषद के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	:	शासन से संबंधित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा
शारीरिक रूप से अपंग	:	मुख्य चिकित्साधिकारी
पुलिस	:	पुलिस अधीक्षक
होमगार्ड, बी.एस.एफ., सी.आर.पी. आदि	:	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर प्रमाण पत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आर्म फोर्स आश्रित	:	सक्षम अधिकारी/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

- प्रवेश की तिथि पर स्नातक उपाधि/अंकतालिका होनी चाहिये तभी प्रवेश दिया जायेगा।

Extra Points (अतिरिक्त अंक) :

प्रत्येक न्यूनतम अर्हताधारक को निम्नांकित अतिरिक्त अंक सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 10 अंक से अधिक नहीं होगा—

एन.सी.सी. — सी प्रमाण पत्र	10 अंक
एन.सी.सी. — बी प्रमाण पत्र	05 अंक
खेलकूद — राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर	10 अंक
खेलकूद — विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व	05 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना — 240 घंटे की सेवा तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर	05 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना — 240 घंटे की सेवा तथा सात दिवसीय दो शिविर	10 अंक

टिप्पणी— उपर्युक्त क्रमांकों पर उल्लिखित में अधिकतम 10 अंक ही देय होंगे।

Syllabus for Entrance Examination (प्रवेश परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम)

- LLB (3 years course) entrance test paper shall consist of 100 objective type multiple choice questions based on General Hindi (20 Questions), General English (20 Questions) and General Knowledge, Current Affairs & Legal awareness (60 Questions).

Entrance Test Paper/Examination Procedure (प्रवेश परीक्षा पेपर/ परीक्षा प्रक्रिया)

- The entrance examination /test will be conducted offline of 1 hour and 30 minutes duration.
- The entrance test for LLB (3 years course) will be based on objective type OMR based questions.
- The paper shall comprise of 100 multiple choice type questions (both in Hindi and English languages).
- All objective questions will have four options with single correct answer.
- Four marks shall be awarded for each correct answer (प्रत्येक सही उत्तर के लिये 4 अंक दिये जायेंगे।)
- One mark will be deducted for each wrong answer (प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।)
- No deduction will, however, be made if no response is indicated for a question (उत्तर न दिये गये प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।)
- More than one answer indicated against a question will be deemed as incorrect response.
- The merit list will be prepared purely on the basis of marks obtained in entrance examination alongwith extra weightage marks if applicable.
- The original OMR and question booklet has to be returned back by the candidate before leaving examination hall, where as carbon copy of OMR may be retained by the candidate.

Entrance Examination will be conducted in Bareilly only.

Result of Entrance test and information for admission (प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिये सूचना)

- The result of LLB (3 Years Course) Entrance Test will be declared by the University within few days after the completion of entrance examination.
- The information regarding the declaration of the result will be published in the Local News papers and result will be uploaded on the university website/ online Entrance examination 2026-27 portal.
- Applicants are advised to visit university website/ online Entrance examination 2026-27 portal regularly.

The Entrance Examination will be conducted ONLY for University Campus & regular courses/ programmes of Government Colleges. The Candidates, who are willing to apply for admission in private/ self-finance colleges, have to fill separate form on online samarth portal for colleges of their choice after registration.

List of Colleges/Number of Seats (कालेजों की सूची/एलएल.बी. त्रिवर्षीय सीटों की संख्या)

1	बरेली कालेज, बरेली	300
---	--------------------	-----

एलएल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

General Instructions (सामान्य निर्देश)

- एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र आधार होगी।
- प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली 2026 के खण्ड-ख के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत अनुमन्य अतिरिक्त अंक (जिनकी अधिकतम सीमा 10 अंक होगी) को जोड़कर वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php> पर लॉगइन करके परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व डाउनलोड करना होगा।
- महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश प्रदत्त अनुमति किसी भी चयनित अभ्यर्थी द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकेगी।
- अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
- सेवारत अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह/अनर्ह होगा।
- एल.एल.बी. में संस्थागत प्रवेश देने के उपरान्त भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति को किसी भी समय प्रवेश निरस्त करने का अधिकार उस दशा में होगा जब अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई ऐसे तथ्य विद्यमान होंगे जिन में छात्र/छात्रा द्वारा मिथ्या सूचना/प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने की स्थिति विद्यमान होगी।
- आफलाईन प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यथा मोबाईल, पेजर, कैलकुलेटर आदि डेटा डिवाइस, पाठ्य सामग्री रखना अनुचित साधन माना जायेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थागत प्रवेश के पश्चात् यदि अभ्यर्थी की गतिविधियाँ महाविद्यालय की शान्ति एवं हितों के प्रतिकूल हों अथवा अभ्यर्थी द्वारा दुराचार एवं अनुशासनहीनता की जाये तो महाविद्यालय के प्राचार्य को अभ्यर्थी के प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे अभ्यर्थी महाविद्यालय को दिये शुल्क आदि की वापसी हेतु भी अधिकृत नहीं होंगे।
- आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

To Apply, Click Here: <https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php>

आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश (LL.M.)

Eligibility for Admission (प्रवेश के लिए पात्रता) :

- एल-एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल-एल.बी./ बी.ए. एलएल.बी./ बी.कॉम. एलएल.बी./ बी.बी.ए. एलएल.बी. परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

NOTE: Students of LL.B./B.A.LL.B./B.B.A.LL.B./B.Com.LL.B. final year may also apply, however they have to attain eligibility at the time of admission.

Reservation (आरक्षण) :

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु) उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा-

Vertical Reservation :

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु)
अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु)
अन्य पिछड़ी जाति	27 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु)
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए	10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा। (उक्त 10 प्रतिशत सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी।)

Horizontal Reservation in each category as per Govt. Rules

विकलांग	04 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
डिफेंस पर्सनल	05 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	02 प्रतिशत (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)
महिला	20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कालेज/कोर्स में)

टिप्पणी 1-सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

टिप्पणी 2: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों की मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

टिप्पणी 3: पिछड़ी जाति (नॉन क्रीमीलेयर) का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2023 के बाद का ही मान्य होगा।

Application procedure and fee (आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क) :

- The candidates have to apply for entrance examination by filling online registration form and depositing registration fee of Rs. 150/-. The registration process is open through samarth portal of MJPRU from **20.05.2026 to 18.06.2026** on University website (<https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php>).
- After successful registration, the candidate shall be required to fill the application form and other details as given in flow chart. The application fee for LL.M. Entrance test is Rs. 800/- + Bank transaction fee. The application form is open from **20.05.2026 to 18.06.2026** on University website (<https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php/registration/user/register>).
- After submitting the online application form Click on "Proceed for the payment" button to pay the online fee by choosing Netbanking/Debit Card/ Credit /UPI.
- After depositing online fee the candidate should print their application form.
- Printed copy of application form should be retained by the candidate for future use. **There is no need for sending application form to the University.**

Admit Card (प्रवेश पत्र)

- The Entrance test will be conducted offline on **28.06.2026 (Sunday) from 09:00 am to 10:30 am.**
- The Admit cards for the Entrance test shall be made available on the University website/entrance examination portal before one week of the entrance examination.
- Admit cards will NOT be sent individually by post.

Entrance Examination will be conducted in Bareilly only.

Admission Criteria (प्रवेश का मानदंड)

- In LLM (2 Years Course)/LL.M. Executive/LL.M. (One Year Course), admissions will be made strictly on the basis of merit in the Entrance Examination. However, minimum required eligibility qualification criteria must be fulfilled.
- Maximum 5% students of other states will be allowed for admission.
- Candidates will be allotted seats strictly according to merit.
- Candidates have to ensure that he/she is eligible for appearing in the admission test. Merely appearing in the admission test does not guarantee the admission unless eligibility conditions are fulfilled at the time of admission. Selected candidates are required to produce all the documents in original at the time of admission in the College/Campus.

Syllabus for Entrance Examination (प्रवेश परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम)

- The entrance examination paper of LL.M. will consist of 100 questions on following subjects:
 - Jurisprudence
 - Constitutional Law
 - Law of Torts
 - International Law
 - Law of Contract
 - Legal Present Day (Law)
 - Law of Crimes
 - Right to Information Act, 2005
 - Cyber Crimes
 - Law relating to women and children

Entrance Test Paper/Examination Procedure (प्रवेश परीक्षा पेपर/परीक्षा प्रक्रिया)

- एलएल.एम. में प्रवेश ऑफलाईन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे।
- प्रवेश परीक्षा में उपरवर्णित विषयों से सम्बन्धित 100 वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिये 4 अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक की कटौती की जायेगी।
- उत्तर न दिये गये प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं काटा जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट की होगी।
- उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जायेंगे।
- सेवारत अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह/अनर्ह होगा।
- ऑफलाईन प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यथा मोबाईल, पेजर, कैलकुलेटर आदि डेटा डिवाइस, पाठ्य सामग्री रखना अनुचित साधन माना जायेगा।
- एलएल.एम. में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र आधार होगी।
- अभ्यर्थी को मूल ओ.एम.आर. एवं प्रश्नपुस्तिका परीक्षा की समाप्ति पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा एवं ओ.एम.आर. की कॉर्बन कॉपी अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं।

Result of Entrance test and information for admission (प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिये सूचना)

- The result of LLM (2 Years Course)/LL.M. Executive/LL.M. (One Year) Entrance Test will be declared by the University within few days after the completion of entrance examination.
- The information regarding the declaration of the result will be published in the Local News papers and result will be uploaded on the university website/ online entrance examination 2026-27 portal.
- Applicants are advised to visit university website/ online entrance examination 2026-27 portal regularly.

List of Colleges/Number of Seats (कालेजों की सूची/सीटों की संख्या)

- Department of Law, MJP Rohilkhand University Campus, Pilibhit bye Pass Road Bareilly. (LL.M. General - 30 Seats) (LL.M. Cyber Law - 60 Seats)* (LL.M. Human Rights and Duties - 60 Seats)* (LL.M. Business and Corporate Laws (01 Year) - 60 Seats)* (LL.M. Executive - 60 Seats)* (LL.M. Self Finance - 30 Seats)*
- *Asian Vidhi Evam Nyayik Vigyan Mahavidyalaya, Khampur Urf Gangapur, Kundra Kothi, Nawabganj, Bareilly. (20 Seats)

*-Under SELF FINANCE Scheme

एलएल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों/महाविद्यालयों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

General Instructions (सामान्य निर्देश):

- एल-एल.एम. (2 वर्षीय)/एकजीक्यूटिव पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता की शर्तें पूर्ण करते हैं।
- प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने में उ0प्र0 शासन/वि0वि0 के आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा। प्रवेशार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग्यता सूची के आधार पर किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों को अधिकतम 5 प्रतिशत स्थानों पर (योग्यता क्रम में स्थान रखने पर) अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php> पर लॉगइन करके परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व डाउनलोड करना होगा।
- परीक्षा प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के समय आवेदन पत्र में संलग्न समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश में आरक्षण का लाभ पाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा आवेदन पत्र पर दी गयी श्रेणियों के नीचे संबंधित श्रेणी पर निशान लगाना अति आवश्यक है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत न आते हों। अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी यह लाभ पाने के अधिकारी नहीं होंगे।
- आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदन में अंकित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को निरस्त करने के लिये महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।
- अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर दी गयी तिथि पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, अन्यथा विश्वविद्यालय दूसरी विधा अपनाने हेतु स्वतंत्र होगा।

To Apply, Click Here: <https://mjpruadm.samarth.edu.in/index.php>